न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 80/2022

अनवान :

1. सुनीलकुमार पुत्र मानसिंह जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. अमीलाल पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
3. मुकेशकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
4. रमेशकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
5. अनीलकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र कुमार मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा नुवां के वर्तमान खाता सं0 3/136 के खसरा सं0 307/1 की 3.503है0 खसरा सं0 369 की 2.706है0, खसरा सं0 403/2 की 8.587है0 कुल खसरा 3 की 14.796है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, उसमें प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनीलकुमार, प्रतिवादी सं0 2 मानसिंह, प्रतिवादी सं0 3 मुकेशकुमार, प्रतिवादी सं0 4 रमेशकुमार, प्रतिवादी सं0 5 अनीलकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.04.22...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 80/2022

अनवान :

1. सुनीलकुमार पुत्र मानसिंह जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।

:- वादी

ब ना म

1. अमीलाल पुत्र मामचन्द जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र अमीलाल जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
3. मुकेशकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
4. रमेशकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
5. अनीलकुमार पुत्र मानसिंह मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88-89 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : **वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र कुमार मील : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 26.04.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नुवां के खाता सं0 3/136 के खसरा सं0 307/1 की 3.503है0 खसरा सं0 369 की 2.706है0, खसरा सं0 403/2 की 8.587है0 कुल खसरा 3 की 14.796है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मामचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में सुनीलकुमार पुत्र श्री मानसिंह जाति मेघवाल निवासी नुवां त0 भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी नूंवा के खाता संख्या 3/136 प्रदर्श 1, जमाबंदी पैतृक कृषि भूमि नूंवा प्रदर्श 2 व 3, वारिस प्रमाण पत्र बाबत शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीकी दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असार पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने नूंवा के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में अमीलाल के एक पुत्र मानसिंह व मानसिंह के चार पुत्र सुनील कुमार, मुकेश कुमार, रमेश कुमार व अनिल कुमार के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा नुवां के वर्तमान खाता सं0 3/136 के खसरा सं0 307/1 की 3.503है0 खसरा सं0 369 की 2.706है0, खसरा सं0 403/2 की 8.587है0 कुल खसरा 3 की 14.796है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज जिसमें प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी 2 ता 5 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा नुवां के वर्तमान खाता सं0 3/136 के खसरा सं0 307/1 की 3.503है0 खसरा सं0 369 की 2.706है0, खसरा सं0 403/2 की 8.587है0 कुल खसरा 3 की 14.796है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी अमीलाल के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज उसमें प्रतिवादी सं0 1 अमीलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी सुनीलकुमार, प्रतिवादी सं0 2 मानसिंह, प्रतिवादी सं0 3 मुकेशकुमार, प्रतिवादी सं0 4 रमेशकुमार, प्रतिवादी सं0 5 अनीलकुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़